


उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

16.8.24

पगावली वेशपुर, वकील पार्थिविगण उपखण्ड, विपक्षीगण के सम्मन बाद बापिल होकर एतदुप जिते शाप के किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कूक कूक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपो मटी। इनके पिक ह एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जागहों वकील पार्थिविगण का एतदुप स्वीकार किया जाकर निष्पि सृपकसे लिखा जाकर शाप किया गया। पगावली के एक शुमार होकर मम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा